

//1//

## —: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद :-

पीठासीन अधिकारी :- देवीलाल यादव (आर.ए.एस.)  
राजस्व प्रकरण संख्या :- 211/2012

### उनवान

1. हीरा पुत्र हंगामा  
1/1. जिया पत्नी हीरा  
1/2. नाथू पुत्र हीरा
2. श्रीराम पुत्र हंगामा समस्त जाति जाट निवासी ग्राम सनोद, नसीराबाद  
— वादीगण :- जरियें अधिवक्ता श्री कैलाश बीजावत

### बनाम

1. राजस्थान सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद  
— प्रतिवादी :- जरियें राज. पैरोकार

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 व धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956



—: निर्णय :-

दिनांक :- 29.11.24

प्रकरण माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी महोदय, अजमेर के न्यायालय से इन निर्देशों के साथ प्राप्त हुआ है कि प्रकरण में वादपत्र व जवाबदावा के आधार पर तनकियात कायम कर पक्षकारन को साक्ष्य व सुनवाई का अवसर प्रदान कर प्रकरण को गुणावगुण पर निर्णित करे।

अधिवक्ता वादीगण ने उक्त वाद पेश कर निवेदन किया कि ग्राम सनोद के वंकिर्ग खसरा नम्बर 502 रकबा 3-10-0 की आराजी वादीगण की खातेदारी थी। आराजी मुतनाजा पर वादीगण काबिज काश्त चले आ रहे है। उक्त आराजी के हाल खसरा नम्बर 762 रकबा 0.45 पूर्व अनुसार वादीगण के नाम दर्ज कर दिया गया किन्तु हाल खसरा नम्बर 762 रकबा 0.12 को त्रुटिपूर्ण तरीके से सिवायचक दर्ज कर दिया, अतः आराजी मुतनाजा का खातेदार वादीगण को घेषित किया जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को जरियें नोटिस तलब किया गया। राज. पैरोकार ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि हाल खसरा नम्बर 762 रकबा 0.12 सिवायचक दर्ज है।

प्रकरण में निम्न तनकियात कायम की गयी :-

1. आया आराजी मुतनाजा का वर्तमान इन्द्राज त्रुटिपूर्ण होने से वादी खातेदारी प्राप्ति के अधिकारी है ?

— वादीगण

2. अनुतोष ?

अधिवक्ता वादीगण को साक्ष्य हेतु पर्याप्त अवसर देने के उपरान्त भी साक्ष्य पेश नही करने के कारण साक्ष्य वादी बंद की गयी।



—2

उपखण्ड अधिकारी  
नसीराबाद (अजमेर)

राज. पैरोकर ने भी साक्ष्य नहीं पेश करना जाहिर किया।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता वादीगण व राज. पैरोकार की बहस पर मनन किया।

**तनकी संख्या 1:-**

आराजी मुतनाजा हाल खसरा नम्बर 762 रकबा 0.12 राजस्व अभिलेख में सिवायचक दर्ज है। वादीगण द्वारा साबिक खसरा नम्बर 502 के हाल खसरा नम्बर 761 की जमाबंदी पेश नहीं की है। वंकिंग जमाबंदी की प्रति से स्पष्ट नहीं होता है कि वंकिंग खसरा नम्बर 502 वादीगण की खातेदारी में है अथवा गैर खातेदारी में है। उक्त आराजी वादीगण को किस प्रकार प्राप्त हुयी यह भी वादीगण द्वारा स्पष्ट नहीं किया है। आराजी मुतनाजा की वंकिंग जमाबंदी से पहले की जमाबंदी वादीगण द्वारा पेश नहीं की गयी है। आराजी मुतनाजा पर वादीगण के कब्जे काशत के भी कोई दस्तावे पत्रावली पर नहीं है। माननीय अपीलीय न्यायालय द्वारा प्रदत्त निर्देशो के बावजूद अधिवक्ता वादीगण द्वारा वाद के समर्थन में कोई साक्ष्य व दस्तावेज पेश नहीं किये है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों से वाद के कथनों की ताईद नहीं होती है। हाल इन्द्राज त्रुटिपूर्ण सिद्ध नहीं होता है। तनकी विरुद्ध वादीगण निर्णित की जाती है।

उक्तानुसार ग्राम सनोद की आराजी मुतनाजा हाल खसरा नम्बर 762 रकबा 0.12 पर वादीगण का वाद "खारिज" किया जाता है। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे। इस आशय की पर्चा डिकी जारी हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।



उपखण्ड अधिकारी  
नसीराबाद

डिक्री व मुकदमें इत्बाई  
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

उनवान

हीरा बनाम राज. सरकार

दावा बाबत :- 88 राज0 काशत0 अधिनियम 1955 व धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956  
राजस्व मुकदमा नम्बर - 211/2012  
पेश करने की दिनांक - 10.12.2019

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू देवीलाल यादव (आर. ए. एस)-व हाजिर  
अभिभाषक कैलाश बीजावत मुद्दई राज0 पैरोकार अभिभाषक मिनजामिन मुदायला पेश हो  
कर दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :-

ग्राम सनोद की आराजी मुतनाजा हाल खसरा नम्बर 762 रकबा 0.12 पर वादीगण  
का वाद "खारिज" किया जाता है। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी  
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक ————— को सालाना आज की तारीख से  
यानि वसूली तक को अदा करे।

बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 29 माह 11 सन् 2024 को जारी की  
गयी।

मुद्दई

मुदायला

स्टाम्प अरजी दावा  
स्टाम्प वकालतनामा  
स्टाम्प वजह सबूत  
मेहनताना वकील  
फीस कमिश्नर  
खर्चा गवाहान  
बाबत् इजराय हुक्मनामा  
मुतफरिक

स्टाम्प वकालतनामा  
स्टाम्प अरजी  
मेहनताना वकील  
खर्चा गवाहान  
फीस कमिश्नर  
बाबत् इजराय हुक्मनामा  
मुतफरिक

मिजान

मिजान

उपखण्ड अधिकारी  
नसीराबाद